

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 303 / 2025

दायर दिनांक 07.08.2025

वादी

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल हफीज पुत्र मो. उमर जाति देशवाली निवासी दीनदरवाजा के बाहर, डीडवाना तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन

1. अब्दुल सलाम देशवाली पुत्र मो. उमर
2. अब्दुल वयूम पुत्र मो. उमर
3. साकीर भाटी पुत्र मो. उमर समस्त जाति देशवाली निवासी दीन दरवाजा के बाहर डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन
4. आसिया पुत्री मो. उमर, पत्नी मो. नासीर गहलोत जाति देशवाली निवासी रामसाबास तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।
5. मदीना बानो पुत्री मो. उमर, पत्नी मोहम्मद खालिद जाति देशवाली निवासी रामसाबास, तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन राजस्थान।
6. मरियम पत्नी मो. उमर जाति देशवाली निवासी काटला बास, डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन
7. आसमा पुत्री मो. उमर पत्नी नासीर जाति देशवाली निवासी खिंचीयाबासनी तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन
8. सलमा खातुन पुत्री मो. उमर पत्नी नौमान अल असद जाति देशवाली निवासी दीनदरवाजा के बाहर डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन
9. नजमा पुत्री मो. उमर पत्नी मुस्तकीन जाति देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन
10. जफर अली पुत्र मुमताज
11. उस्मान पुत्र मुमताज
12. फजलुरहमान पुत्र मुमताज
13. इसुब उर्फ युसुफ अली पुत्र मुमताज समस्त जाति देशवाली निवासीगण दीनदरवाजा के बाहर, डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।
14. शिब्वो पुत्री मुमताज पत्नी जलालुदीन जाति देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।
15. जरीना बानो पुत्री मुमताज पत्नी सब्बीर जाति देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना जिला डीडवाना-कुचामन, राजस्थान।
16. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत

घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा- 53,188 R.T.Act.,



उपस्थित:-

WKS
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

1. श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी।
2. श्री सलीम गहलोत वकील प्रतिवादी संख्या 2 ता 9

—:: निर्णय ::—

दिनांक 18.02.2026

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है, वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के पिता मो. उमर व मुमताज पुत्रगण लाला की संयुक्त खातेदारी की भूमि वर्तमान खेत खसरा संख्या 843 रकबा 0.0100 है, खसरा संख्या 844 रकबा 2.0700 है, खसरा संख्या 845 रकबा 0.1400 है, खसरा संख्या 846 रकबा 0.0600 है, खसरा संख्या 847 रकबा 0.1300 है, खसरा संख्या 848 रकबा 3.0100 है, खसरा संख्या 856 रकबा 2.6600 है, खसरा संख्या 862 रकबा 2.6100 है, खसरा संख्या 876 रकबा 3.2200 है, खसरा संख्या 878 रकबा 2.7900 है, खसरा संख्या 900 रकबा 1.9100 है, खसरा संख्या 902 रकबा 2.0900 है, खसरा संख्या 904 रकबा 2.0100 है, खसरा संख्या 907 रकबा 0.2800 है, खसरा संख्या 911 रकबा 0.1800 है, खसरा संख्या 912 रकबा 0.1000 है, कुल खसरा 16 कुल रकबा 23.2700 है, व पुश्तैनी खरीदसुदा कब्जा शुदा व खसरा संख्या 905 रकबा 1.8200 है, खसरा संख्या 903 रकबा 2.8600 है, खसरा संख्या 906 रकबा 0.1300 है, वाके सरहद ग्राम डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना में अवस्थित है। खसरा नम्बर 903 प्रतिवादी संख्या 13 के नाम से खरीदसुदा व खसरा नम्बर 905, 906 नाईयों से खरीदसुदा है जो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता स्व. मो. उमर के 1/2 व प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के पिता स्व. मुमताज के 1/2 शामिलती खरीदसुदा है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 की उक्त खसरान की भूमि पुश्तैनी भूमि है। जिसका वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 के खातेदार मुमताज व मो. उमर ने अपने जीवनकाल में ही करीब 40-45 वर्ष पहले भौतिक रूप से संलग्न नक्शे अनुसार अलग-अलग बंटवारा कर मौके पर अलग-अलग काबिज व काश्त रहे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 के पिता मो. उमर का स्वर्गवास दिनांक 23.05.2022 को हो चुका है तथा प्रतिवादी संख्या 9 ता 15 के पिता मुमताज का स्वर्गवास वर्ष 2012 को हो चुका है। उनके स्वर्गवास के पश्चात वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 15 अपने-अपने हक हिस्से व बंट की भूमि पर लगातार बेरोक टोक काबिज काश्त है। वादी पक्ष अपने हक हिस्से की भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 को वादी पक्ष के स्वामित्व कब काश्त में दखल अंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। स्व. मो. उमर व मुमताज के बीच उक्त खेत की भूमि को लेकर वर्षों पहले अपने जीवनकाल मौखिक बंटवारा कर अलग-अलग काबिज होने, परन्तु उक्त खेत की खातेदारी संयुक्त दर्ज होने से वादी पक्ष के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी करने व वादी पक्ष को कब्जे से बेदखल करने व अन्यत्र बैचान करने की लगातार धमकियां दिलवा रहे हैं। जबकि प्रतिवादीगण को वादी पक्ष के कब्जे में दखल अंदाजी करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। इस कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी होने से पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :-

वर्तमान खेत खसरा संख्या 843 रकबा 0.0100 है, खसरा संख्या 844 रकबा 2.0700 है, खसरा संख्या 845 रकबा 0.1400 है, खसरा संख्या 846 रकबा 0.0600 है, खसरा संख्या 847 रकबा 0.1300 है, खसरा संख्या 848 रकबा 3.0100 है, खसरा संख्या 856 रकबा 2.6600 है, खसरा संख्या 862 रकबा 2.6100 है, खसरा संख्या 876 रकबा 3.2200 है, खसरा संख्या 878 रकबा 2.7900 है, खसरा संख्या 900 रकबा 1.9100 है, खसरा संख्या 902 रकबा 2.0900 है, खसरा संख्या 904 रकबा 2.0100 है, खसरा संख्या 907 रकबा 0.2800 है, खसरा संख्या 911 रकबा 0.1800 है, खसरा संख्या 912 रकबा 0.1000 है, कुल खसरा 16 कुल रकबा 23.2700 है। सरहद ग्राम डीडवाना पटवार हल्का

Wkas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डीडवाना का वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के बीच संलग्न नक्शा अनुसार बंटवारा कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 का (स्व. मो. उमर के वारिसान) के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। उक्त खेत खसरान की भूमि में वादी पक्ष के हक हिस्से व कब्जा काशत की भूमि में प्रतिवादीगण संख्या 10 ता 15 किसी प्रकार की दखल अंदाजी, रूकावट, व्यवधान उत्पन्न न तो स्वयं करें, ना ही अन्य से करावें तथा प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदारी की आड में उक्त भूमि का वैचाण, हस्तान्तरण, गिरवी, रहन आदि नहीं करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये समन तलव किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1, 10 ता 16 सम्मन तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 के मध्य राजीनामा पेश हुआ। वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में साक्ष्य शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवारा हो चुका है एवं वादी व प्रतिवादीगण अपने-अपने हक हिस्से पर काबिज काशत है एवं वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा किया जावे। जिस पर पक्षकारान द्वारा वाद का खण्डन नहीं किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया। वादी अपने वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। वादी के इस्तदुआ एवं पक्षकरान् द्वारा वाद का खण्डन नहीं किये जाने पर वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार विभाजन किया जाना उचित समझते है। वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

—:आदेश :-

वर्तमान खेत खसरा संख्या 843 रकबा 0.0100 है., खसरा संख्या 844 रकबा 2.0700 है., खसरा संख्या 845 रकबा 0.1400 है., खसरा संख्या 846 रकबा 0.0600 है., खसरा संख्या 847 रकबा 0.1300 है., खसरा संख्या 848 रकबा 3.0100 है., खसरा संख्या 856 रकबा 2.6600 है., खसरा संख्या 862 रकबा 2.6100 है., खसरा संख्या 876 रकबा 3.2200 है., खसरा संख्या 878 रकबा 2.7900 है., खसरा संख्या 900 रकबा 1.9100 है., खसरा संख्या 902 रकबा 2.0900 है., खसरा संख्या 904 रकबा 2.0100 है., खसरा संख्या 907 रकबा 0.2800 है., खसरा संख्या 911 रकबा 0.1800 है., खसरा संख्या 912 रकबा 0.1000 है., कुल खसरा 16 कुल रकबा 23.2700 है. सरहद ग्राम डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना का वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के बीच संलग्न नक्शा अनुसार विभाजन के आदेश दिया जाता है। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

ikas
(विकास मोहन भाटीकर R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

ikas
(विकास मोहन भाटीकर R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

डिक्री वमुकददमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः— सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 303/2025

दायर दिनाँक 07.08.2025

वादी

प्रतिवादीगण

1. अब्दुल हफीज पुत्र मो.
उमर जाति देशवाली
निवासी दीनदरवाजा
के बाहर, डीडवाना
तहसील डीडवाना
जिला
डीडवाना—कुचामन

1. अब्दुल सलाम देशवाली पुत्र मो. उमर
2. अब्दुल वयूम पुत्र मो. उमर
3. साकीर भाटी पुत्र मो. उमर समस्त जाति
देशवाली निवासी दीन दरवाजा के बाहर
डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन
4. आसिया पुत्री मो. उमर, पत्नी मो. नासीर
गहलोत जाति देशवाली निवासी रामसाबास
तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन,
राजस्थान।
5. मदीना बानो पुत्री मो. उमर, पत्नी मोहम्मद
खालिद जाति देशवाली निवासी रामसाबास,
तहसील डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन
राजस्थान।
6. मरियम पत्नी मो. उमर जाति देशवाली निवासी
काटला बास, डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन
7. आसमा पुत्री मो. उमर पत्नी नासीर जाति
देशवाली निवासी खिंचीयाबासनी तहसील
डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन
8. सलमा खातुन पुत्री मो. उमर पत्नी नौमान अल
असद जाति देशवाली निवासी दीनदरवाजा के
बाहर डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन
9. नजमा पुत्री मो. उमर पत्नी मुस्तकीन जाति
देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना—कुचामन
10. जफर अली पुत्र मुमताज
11. उस्मान पुत्र मुमताज
12. फजलुरहमान पुत्र मुमताज
13. इसुब उर्फ युसुफ अली पुत्र मुमताज समस्त
जाति देशवाली निवासीगण दीनदरवाजा के
बाहर, डीडवाना जिला डीडवाना—कुचामन,
राजस्थान।
14. शिब्वो पुत्री मुमताज पत्नी जलालुदीन जाति
देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
15. जरीना बानो पुत्री मुमताज पत्नी सब्बीर जाति
देशवाली निवासी बालिया तहसील डीडवाना
जिला डीडवाना—कुचामन, राजस्थान।
16. तहसीलदार डीडवाना

बनाम्

दावा बाबत्

घोषणा बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा— 53,188 R.T.Act.,

Wkaas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

दिनांक 18.02.2026

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई श्री अल्ताफ हुसैन वकील वादी एवं सलीम गहलोट वकील प्रतिवादी संख्या 2 ता 9 की ओर से मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर वर्तमान खेत खसरा संख्या 843 रकबा 0.0100 है, खसरा संख्या 844 रकबा 2.0700 है, खसरा संख्या 845 रकबा 0.1400 है, खसरा संख्या 846 रकबा 0.0600 है, खसरा संख्या 847 रकबा 0.1300 है, खसरा संख्या 848 रकबा 3.0100 है, खसरा संख्या 856 रकबा 2.6600 है, खसरा संख्या 862 रकबा 2.6100 है, खसरा संख्या 876 रकबा 3.2200 है, खसरा संख्या 878 रकबा 2.7900 है, खसरा संख्या 900 रकबा 1.9100 है, खसरा संख्या 902 रकबा 2.0900 है, खसरा संख्या 904 रकबा 2.0100 है, खसरा संख्या 907 रकबा 0.2800 है, खसरा संख्या 911 रकबा 0.1800 है, खसरा संख्या 912 रकबा 0.1000 है, कुल खसरा 16 कुल रकबा 23.2700 है. सरहद ग्राम डीडवाना पटवार हल्का डीडवाना का वादी, प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 एवं प्रतिवादी संख्या 10 ता 15 के बीच संलग्न नक्शा अनुसार विभाजन के आदेश दिया जाता है। वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न रहेगा। डिक्री पर्चा जारी हो।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 18.02.2026 को सरे इजलास में जारी की गयी।

Wka
सहायक जज
डीडवाना

	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	—		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुकमनामा		
हुकमनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Wka
सहायक जज
डीडवाना